

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या-92/2008

मो० तैयब, पिता-ग्यास, साकिन-सुपौली टोला दरगाहा, थाना-भवानीपुर, जिला- पूर्णियाँ.....
आवेदक

बनाम्

1. धड़कन मंडल, पिता-स्व० गंगा मंडल
 2. दासो मंडल, पिता-स्व० झगरू मंडल
 3. नायकू मंडल, पिता- स्व० झगरू मंडल
- सभी साकिनान-पंडित बासा, थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णिया विपक्षी..... विपक्षी



आदेश

आवेदक भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-4/2006-07

33/2008-09 में पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा-बरदधट्टा, खाता नं०-22, खेसरा नं०-29, रकवा-1.38 एकड़ जमीन के वास्तविक भूस्वामी प्रभात कुमार सिंह थे। आवेदक भूस्वामी से उपरोक्त जमीन से 69 डिसमिल जमीन रजिस्टर्ड केवाला द्वारा दिनांक 19.02.2004 को खरीदा और नामान्तरण हेतु अंचलाधिकारी, भवानीपुर को आवेदन दिया। अंचलाधिकारी ने नामान्तरण पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए नामान्तरण वाद संख्या-389/2005 में आवेदक के नाम 69 डिसमिल जमीन का नामान्तरण करने हेतु आदेश पारित किया। इस प्रकार आवेदक के नाम खरीदी गयी जमीन का जमाबन्दी दर्ज हुआ। तदुपरान्त विपक्षी द्वारा उक्त नामान्तरण आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में नामान्तरण वाद संख्या-4/2006-07

33/2008-09 दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों को नजर अन्दाज कर अंचलाधिकारी द्वारा पारित नामान्तरण आदेश को रद्द करने हेतु गलत आदेश पारित किया गया। स्पष्ट है कि आवेदक ने वास्तविक भूस्वामी से जमीन खरीदकर नामान्तरण अपने नाम करवाया। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर एवं वास्तविक तथ्यों को देखते हुए उचित न्याय करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत जमीन खेवट जमीन है और यह जमीन लक्ष्मण मंडल, झगरू मंडल उर्फ झगरू मंडल तथा धड़कन मंडल तीनों का पिता-स्व० गंगा मंडल के नाम कायमी दर्ज था। उपरोक्त जमीन का मालगुजारी राजस्व पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा वाद संख्या-196/56/56, धारा-109 सी, बी०टी० एकट अन्तर्गत निर्धारित किया गया। मालगुजारी निर्धारित होने के बाद लक्ष्मण मंडल ने अपने हिस्से की खेसरा नं०-32 की

1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>जमीन विपक्षी संख्या-1 धड़कन मंडल एवं विपक्षी संख्या-2 एवं 3 के पिता झगरू मंडल के पास बेच दिया। तदुपरान्त विपक्षीगण खरीदी गयी जमीन पर दखलकार होकर खेती कर रहे हैं। प्रभात कुमार सिंह के द्वारा निष्पादित केवाला आवेदक के नाम गलत है क्योंकि प्रभात कुमार सिंह को उक्त जमीन बेचने का हक नहीं है। हल्का कर्मचारी ने भी अपने जाँच प्रतिवेदन में विपक्षी के दखल का वर्णन किया है। नामान्तरण के प्रस्ताव में हल्का कर्मचारी का दिनांक अंकित नहीं है। आवेदक के नाम नामान्तरण में केवल खानापूरी की गयी है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा नामान्तरण अपील में पारित आदेश विधि के अनुकूल है। अतः विपक्षीगण निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को रद्द करने की कृपा की जाय।</p> <p>पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 11.11.2011 को सुनवाई की गयी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक सिकमीदार है एवं विवादित जमीन उनके दखल-कब्जा में है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश गलत है। अंचलाधिकारी के द्वारा आवेदक के पक्ष में निर्णय लिया गया था।</p> <p>विपक्षी का कथन है कि अंचलाधिकारी के द्वारा विपक्षी को किसी तरह की सूचना नहीं दिया गया है एवं उनके द्वारा आवेदक का दखल-कब्जा नहीं पाया गया। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से विपक्षी का दखल-कब्जा स्पष्ट है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा दोनों पक्ष की सुनवाई से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है। आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> समाहर्त्ता, पूर्णियाँ</p> <p> समाहर्त्ता, पूर्णियाँ</p>	